



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15112025-267693

CG-DL-W-15112025-267693

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2025 (कार्तिक 24, 1947)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2025 (KARTIKA 24, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 सितंबर 2025

सं. एलएफईएस-पीएस 30/2/2025/98-कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री दिनेश कुमार जुनेजा, संयुक्त सचिव, 31 अगस्त, 2025 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस 30/2/2025/99-कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री संजय कुमार खुर्सीजा, संयुक्त सचिव (इ एंड टी), 31 अगस्त, 2025 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32014 /1/2025/100-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—माननीय सभापति, राज्य सभा ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री अजय कुमार मल्लिक, निदेशक को दिनांक 01 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 में नियमों के अधीन यथास्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32014/1/2025/101-कार्मिक अनु.-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (संपादन और अनुवाद) को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 में नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त सचिव (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/102-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्रीमती पूनम वधावन, संयुक्त निदेशक (सम्पादन और अनुवाद सेवा) को 01 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ और आगामी आदेशों तक निदेशक (सम्पादन और अनुवाद सेवा) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/103-कार्मिक अनु.-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री राजेश वर्मा, उपनिदेशक (संपादन और अनुवाद) को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/104-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—श्री अमित आत्माराम राव, जिन्हें पूर्व में दिनांक 28 मई, 2025 की अधिसूचना सं. एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/35-कार्मिक अनुभाग- आरएसएस के माध्यम से 1 फरवरी, 2025 से प्रतिनियुक्ति रक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए राज्य सभा सचिवालय में उप-निदेशक (सम्पादन और अनुवाद सेवा) के पद पर नियुक्त किया गया था, को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रक्ति के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

2. श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, जिन्हें पूर्व में दिनांक 15 मई, 2019 की अधिसूचना सं. आरएस3/7/2019/28-कार्मिक के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय में उप-निदेशक (सम्पादन और अनुवाद सेवा) के पद पर *स्वस्थाने* आधार पर नियुक्त किया गया था, को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए समायोजित किया जाता है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32017/1/2025/105-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—सुश्री शिखा सिंह, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं.एलएफईएस-पीएस 32017/1/2025/55-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस दिनांक 20 जून, 2025 के माध्यम से दिनांक 1 फरवरी, 2025 से प्रतिनियुक्ति रक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए राज्य सभा सचिवालय में संपादक के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रक्ति के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अनुवादक के ग्रेड में कार्यरत श्री प्रभाकर कुमार वर्मा को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में नियमों के अधीन यथास्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ इस सचिवालय में संपादक के ग्रेड में प्रतिनियुक्ति रक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

3. उपरोक्त पदोन्नतियां इस मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के निर्देशानुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होंगी।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस52018/1/2024/106-कार्मिक अनु-आरएसएस—श्री अजीत सिंह लांबा, सुरक्षा अधिकारी को 1 सितंबर, 2025 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवाएं वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा आगामी आदेशों तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन रहेगी।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस52014/1/2023/108-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद में प्रधान निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (पीएसएसएस) (स्वस्थाने) ने 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 4 सितंबर 2025

सं.एलएफईएस-पीएस 32017/1/2025/ 109 -कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री ओम प्रकाश मैथानी, सहायक विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी को कैरियर प्रोन्नति योजना के अनुसार 04 सितंबर, 2025 से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में चौथा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है।

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन दिनांक 14 अगस्त, 2020 के समय-समय पर संशोधित होने वाले आर एंड सीएस आदेश संख्या 04/2020 के अनुसार कैरियर प्रोन्नति योजना के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 10 सितंबर 2025

सं. आरएस 42/1/2022/110-कार्मिक—डॉ. वंदना कुमार, आईडीएस (1992), जिन्हें राज्य सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, को 10 सितंबर, 2025 के अपराह्न से सचिवालय में कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सुपुर्द कर दी गई हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

सं.एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/111-कार्मिक अनु-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने कैरियर प्रोन्नति योजना के अनुसार श्री राजेंद्र प्रसाद, उप सचिव को वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 में दिनांक 07 जून, 2025 से तथा आगामी आदेशों तक चौथा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है।

2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन दिनांक 14 अगस्त, 2020 के भर्ती और सेवा की शर्तें आदेश संख्या 4/2020 के अनुसार करियर प्रोन्नति योजना के उपबंधों द्वारा शासित होगा।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस32015/1/2025/112-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री राजेंद्र प्रसाद, उप सचिव को 01 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस 32015/1/2025/113- कार्मिक अनुभाग-आरएसएस—श्री दीपक भोरिया, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं.एलएफईएस-पीएस 32015/1/2025/30-कार्मिक अनुभाग-आरएसएस दिनांक 28.05.2025 के द्वारा दिनांक 01.03.2025 से प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए राज्य सभा सचिवालय में उप-सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 1 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री विजय कुमार राय, अवर सचिव को 01 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उप सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस-पीएस 32015/1/2025/114-कार्मिक अनु.-आरएसएस—श्री थंगज़ासियाम पाइटे जिन्हें पूर्व में दिनांक 29.08.2024 की अधिसूचना सं. एलएफईएस-पीएस 32015/1/2024/56-कार्मिक अनु.-आरएसएस के माध्यम से दिनांक 01.08.2024 से प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 01 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के स्थान पर समायोजित किया जाता है।

2. उपरोक्त समायोजन इस मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के निदेशों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के साथ-साथ एलपीए संख्या 360/2022 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों के अध्यक्षीन होगा।

श्रीजा वी., निदेशक

सं. आरएस.42/1/2022/115-कार्मिक—इस सचिवालय की अधिसूचना सं. आरएस.42/1/2022/110-कार्मिक, दिनांक 10 सितंबर, 2025 के आंशिक आशोधन में, डॉ. वंदना कुमार, भा.र.ले.से. (1992) को दिनांक 11 सितंबर से 03 अक्तूबर, 2025 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त अवकाश की अवधि की समाप्ति पर, डॉ. वंदना कुमार की सेवाओं को उनके मूल विभाग अर्थात् रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 16 सितंबर 2025

सं. आरएस.42/1/2022/116-कार्मिक—जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री सुमंत नारायण, आईए एंड एस (2000), जो वर्तमान में राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को 16 सितंबर, 2025 के अपराह्न से सचिवालय में अपने कर्तव्यों से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 24 सितंबर 2025

सं. आरएस.6/1/2022/117-कार्मिक—अधिसूचना सं.आरएस.6/1/2022/94-कार्मिक दिनांक 11 अगस्त, 2025 में आंशिक संशोधन के पश्चात्, नियुक्त व्यक्ति का नाम “श्री चिरायु ठक्कर” के बजाय “श्री चिरायु चंद्रकांत ठक्कर” पढ़ा जाए।

श्रीजा वी., निदेशक

दिनांक 30 सितंबर 2025

सं. एलएफईएस-पीएस 16014/1/2025/118- कार्मिक अनु.-आरएसएस—निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें उनके नाम के सामने दर्शाए गए विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के संबंधित पूर्व अध्यक्षों के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के

रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 26 सितंबर, 2025 के पूर्वाह्न से उन्हें 15 दिनों की परिसमापन समयावधि प्रदान करने के पश्चात् 10 अक्टूबर, 2025 के अपराह्न से समाप्त हो जाएंगी—

क्रम सं.	समिति और अध्यक्ष के नाम	सह-पदावसान आधार पर नियुक्त व्यक्ति के नाम
1.	वाणिज्य संबंधी समिति (सुश्री दोला सेन)	श्रीमती फरहीन सनम
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति (प्रो .राम गोपाल यादव)	श्री कृष्ण पाल यादव
3.	गृह कार्य संबंधी समिति (डा. राधा मोहन दास अग्रवाल)	श्री सत्य जीत पांडे
4.	शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति (श्री दिग्विजय सिंह)	श्री रविचंद्र तडिगाडपा
5.	उद्योग संबंधी समिति (श्री तिरुची शिवा)	श्री मंगेश के.
6.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति (श्री वृज लाल)	श्री अरुण कुमार शर्मा
7.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति (श्री भुवनेश्वर कालिता)	श्री विनय कुमार मलिक
8.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री संजय कुमार झा)	श्री गौरव कुमार

श्रीजा वी., निदेशक

सं. एलएफईएस- पीएस 30/2/2025/119 - कार्मिक अनुभाग आरएसएस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री रोशन लाल, निदेशक, 30 सितंबर, 2025 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

श्रीजा वी., निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 सितंबर 2025

सं. एलएफईएस-पीएस25011(11)/1/2024/107-कार्मिक अनु.-आरएसएस—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव श्री अजय कुमार मलिक को 1 सितंबर, 2025 से और अगले आदेशों तक इस सचिवालय में अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है।

2. दिनांक 10 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या आरएस/15/1/1/2022/4- कार्मिक द्वारा श्री संजय कुमार खुर्सीजा, संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त) की अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

अरुण बक्शी, उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2025

सं. ए-43014/02/2022-प्रशा.-I —कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.10.2025 के आदेश सं. 3/2/2025-सीएस.।(डी) के जरिए इस सचिवालय के श्री आशीष मल्होत्रा (सीएसएल सं. 6854) का नाम वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची (एसएसजीएसएल) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 17.10.2025 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

2. एसएसजीएसएल 2025 में अधिकारी के नाम को शामिल किया जाना श्री जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता और अन्य शीर्षक एसएलपी (सी) सं. 30621/ 2011 से उद्भूत 2022 की सिविल अपील सं. 629 तथा अन्य संगत मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगामी आदेशों के अध्यक्षीन होगा।

सौमित्र सहार, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2025

सं. ए-43014/02/2022-प्रशा.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. सीएस-5/1/2025-सीएस-I यू के जरिए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.08.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/15/2023-सीएस.I(यू) के अनुसार वर्ष 2025 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची के ग्रेड-I अर्थात् अवर सचिव में समाविष्ट किए जाने के परिणामस्वरूप इस सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारी, जो वर्तमान में उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यालय/विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की तिथि से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में प्रोफॉर्मा पदोन्नति दी जाती है:—

नाम (श्री)	जन्म तिथि	प्रतिनियुक्ति पर	आसन्न कनिष्ठ अधिकारी तथा संवर्ग एककों द्वारा यथा संपुष्ट उनके कार्यभार संभालने/ पदोन्नति की तारीख	प्रोफॉर्मा पदोन्नति की तारीख
मधुरेश कुमार सिंह (डीओपीटी के दिनांक 30.06.2025 के का.ज्ञा.सं. सीएस-5/1/2025-सीएस-I यू की क्र.सं. 148)	05.01.1980	दिनांक 02.04.2024 से कोयला खान भविष्य निधि संगठन में	श्री कुन्दन कुमार क्र.सं. 149 पर (01.07.2025)	01.07.2025

2. उक्त अधिकारी का समावेशन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित जरनैल सिंह बैच के मामलों और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका सं.6597/2012 एवं 3003/2013 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन और किसी अन्य संबद्ध मामले में किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के भी अध्यक्षीन होगा।

सौमित्र सहार, अवर सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु – 560 094, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

सं. ए.26012/1/2019-I—श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस. (टी.एन.:95) को अंतरिक्ष विभाग में अपर सचिव के रूप में अपना प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा करने तथा दिनांक 06.10.2025 से 31.10.2025 तक अवकाश समाप्ति के परिणामस्वरूप, उन्हें अंतरिक्ष विभाग से दिनांक 31.10.2025 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

राजी आर., अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

सं.ए-12026/3/2024-प्रशा.I(वि.वि.)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 2020 और 2021 के लिए चयन सूची की समीक्षा के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.10.2025 कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2025-सीएस.I(यू) के अनुसरण में, ऐतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, अवर सचिव, विधायी विभाग (सीएसएल सं. 11636) का नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डीपीसी की समीक्षा की सिफारिश के आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) की वर्ष 2020 की चयन सूची में सम्मिलित किया गया है।

2. उपर्युक्त अधिकारी को चयन सूची में शामिल करना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2022-सीएस.1(यू) में निर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन है और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित जरनैल सिंह बैच के मामलों और अन्य संबंधित अदालती मामलों के परिणाम के अध्वधीन है।

डॉ. के. वी. कुमार, अपर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

सं. 110/2025 (फा.सं.ए-38012/07/2025-प्रशा.1 ए)—अधिवर्षिता की आयु होने पर श्री इंद्रजीत अरोड़ा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी, जो राजस्व विभाग में प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर तैनात हैं, एफआर 56 (ए) के तहत दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आशीष कुमार शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2025

सं.09/2025 [फा.सं.ए. ए-32022/1/2025-प्रशा.1ए)—भारत के राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन 3/8/2025-सीएस.11(ए)(i) और व्यय विभाग के संवर्ग प्रशासनिक अनुभाग (सीएस) के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.32014/04/2023-सीएस दिनांक 27.10.2025 के तहत उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, राजस्व विभाग के निम्नलिखित निजी सचिव (पीएस) को सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष-2025(भाग) के लिए वेतन स्तर 11 (रु. 67,700 से रु. 2,08,700) में उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं:

नाम	जन्मतिथि	प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री आकाश सिंह	04.07.1974	01.10.2025 (पूर्वाह्न)

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयीन मामलों के परिणाम के अध्वधीन है:—

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2022 की सिविल अपील संख्या 629 (2011 की एसएलपी(सिविल) संख्या 30621 से उत्पन्न होने वाली) और इससे संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)
- संबंधित मामले में कोई अन्य न्यायालयीन मामला।

आशीष कुमार शुक्ला, अवर सचिव

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवंबर 2025

सं. ए-19012/7/2020- सी.ई.आई.वी.—अधिवर्षिता की आयु होने पर श्रीमती जाया सदानन्दन, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की अधिकारी, जो राजस्व विभाग के केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर तैनात हैं, एफआर 56(ए) के तहत दिनांक 30 जून, 2025 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

मंजीत, अवर सचिव (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2025

सं. ए -46011/3/2017-स्था.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई में वेतन स्तर-13 (₹ 1,23,100-₹ 2,15,900/- रुपए) में उनके सामने उल्लिखित पद तथा तिथि से प्रतिनियुक्त के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशो तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सौरभ कुलकर्णी	संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कपास)	22.09.2025 (पूर्वाह्न)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
2.	डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आईएएस (सीजी:2011)	संयुक्त वस्त्र आयुक्त	13.10.2025 (अपराह्न)

अनुराग दीक्षित, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2025

सं. ए-38011/02/2025-स्था.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप श्री भारत भूषण, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, दिनांक 30.09.2025 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुरेन्द्र ठाकुर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2025

सं. ए-19011/15/2025-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2025 के आदेश सं. 33/09/2025-ईओ(एसएम-1) और कार्मिक विभाग जयपुर, राजस्थान सरकार के दिनांक 15.10.2025 के आदेश सं. एफ.1(1) कार्मिक/ए-1/2002 के जरिए डा. कृष्ण कांत पाठक, आईएएस (आरजे:2001) ने दिनांक 16.10.2025 (पूर्वाह्न) से उर्वरक विभाग में पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

मनीष कुमार चौरसिया, अवर सचिव

दिनांक 23 अक्टूबर 2025

सं. ए-32011/03/2025-स्था.—सक्षम प्राधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.10.2025 के आदेश सं.6/4/2025-सीएस.1(एस) के अनुसरण में, श्री पंकज दत्त शर्मा को दिनांक 10.10.2025 (अपराह्न) से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में वरिष्ठता कोटा में वर्ष 2025 की चयन सूची में पे मैट्रिक्स के पे लेवल-8 (रु.47,600 से रु. 1,51,100) में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के निर्णयों तथा किसी अन्य संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधीन होगी:

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 629/2022 तथा संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)
- आज की तारीख तक एसओ/एसओ ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय में दायर किए गए कोई अन्य मामले, यदि कोई हों।

मनीष कुमार चौरसिया, अवर सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर 2025

सं. क्यू- 15014/03/2020-सीपीए—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 13/10/2025 के अनुसार श्री तरुण कुमार पिथोड़े, आईएएस (एमपी: 2009) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 23.10.2025 (पूर्वाह्न) से 08.09.2029 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

प्रसून त्रिपाठी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 नवंबर 2025

सं. ए० 12025/166/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रियदर्शिनी बरगुणम को दिनांक 29 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 [56,100/- रुपए से 1,77,500/- रुपए के वेतनमान और नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स (एन. पी. ए.) जो भी मान्य है, में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त

करते हैं। डॉ. प्रियदर्शिनी बरगुणम को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

सं. ए० 12025/16/2024-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. गिनिश मवानी को दिनांक 04 मार्च, 2024 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 [56,100/- रुपए से 1,77,500/- रुपए के वेतनमान और नॉन प्रेक्टिसिंग एलोवेन्स (एन. पी. ए.) जो भी मान्य है, में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. गिनिश मवानी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग
(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)
हैदराबाद – 500 016, दिनांक 10 नवंबर 2025

सं. पखनि AMD-25/8/2025-भर्ती/3725—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में पदोन्नति होने पर स्थानापन्न रूप में अगले आदेशों तक उनके नामों के सामने उल्लिखित ग्रेड एवं दर्शाई गई तारीख से इसी निदेशालय में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	नाम (डॉ/सर्वश्री/सुश्री)	वर्तमान ग्रेड/ मैट्रिक्स/ लेवल	किस मैट्रिक्स एवं लेवल में पदोन्नति	पदोन्नति की तारीख
1	क्रिस्टोफर अरुलमणि पी.	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
2	आलोक पांडे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
3	गिरिधर जी. वी.	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
4	नवीन राज रोशन एक्का	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
5	सुधाकर चंद्र गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
6	पवन कुमार एम.	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025
7	पवन मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ लेवल – 13	वैज्ञानिक अधिकारी/जी लेवल – 13क	01/07/2025

बंडी रमेश, तकनीकी अधिकारी/ई

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

सं. 3-7/2004-डीडी- IV- ए (एससीएच)—राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में, राष्ट्रपति राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 22.10.2025 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं:—

नाम	पदनाम	संगठन
श्री प्रभात त्यागी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

जसवीर सिंह, उप सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 2025

सं. ई(ओ)III-2025/आर एन/19—श्री राजीव कुमार मिश्रा, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (जन्मतिथि: 28.08.1968, डीआईटीएस: 21.02.1994, लिएन: पूर्व रेलवे) का कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) में तत्काल समाहन होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने 01.10.2025 को रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

अरूणा नायर, सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st September 2025

No. LAFEAS-PS/30/2/2025/98-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Dinesh Kumar Juneja, Joint Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2025.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS/30/2/2025/99-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Sanjay Kumar Khursija, Joint Secretary (E&T), retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2025.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32014/1/2025/100-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ajaya Kumar Mallick, Director in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Joint Secretary in the Secretariat in Level 14 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32014/1/2025/101-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Mahender Singh, Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Joint Secretary (E&T) in the Secretariat in Level 14 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/102-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Poonam Wadhawan, Joint Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director (E&T) in the Secretariat in Level 13 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/103-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajesh Verma, Deputy Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Joint Director (E&T) in the Secretariat in Level 12 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/104-Perl Sec-RSS—Shri Amit Atmaram Rao who was earlier appointed to the grade of Deputy Director (E&T) in Rajya Sabha Secretariat to officiate against deputation vacancy w.e.f. 1st February, 2025 vide Notification No. LAFEAS-PS32015/1/2025/35-Perl Sec-RSS dated 28th May, 2025 stands adjusted against regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

2. Smt. Suman Srivastava, who was earlier appointed to the grade of Deputy Director (E&T) in Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis w.e.f. 19th May, 2019 vide Notification No. RS.3/7/2019/28-Perl dated 15th May, 2019 stands adjusted to officiate in the said grade against deputation vacancy w.e.f. the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32017/1/2025/105-Perl Sec-RSS—Ms. Shikha Singh who was earlier appointed to the grade of Editor in Rajya Sabha Secretariat to officiate against deputation vacancy w.e.f. 1st February, 2025 vide Notification No. LAFEAS-PS32017/1/2025/55-Perl Sec-RSS dated 20th June, 2025 stands adjusted against regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

2. Further, the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Prabhakar Kumar Verma, Translator in Rajya Sabha Secretariat to the grade of Editor in the Secretariat in Level 10 in the pay matrix plus usual allowances as

admissible under the rules to officiate against deputation vacancy w.e.f. the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

3. The above promotions shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court as per the directions of the DoPT O.M. dated 12th April, 2022 in this matter.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS52018/1/2024/106-Perl Sec-RSS—Shri Ajit Singh Lamba, Security Officer, stands relieved of his duties in the Secretariat w.e.f. the forenoon of 1st September, 2025 and his services are placed at the disposal of Delhi Development Authority, for his appointment as Chief Security Officer in Level 11 in the pay matrix on deputation basis for a period of three years and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS52014/1/2023/108-Perl Sec-RSS—Consequent upon being relieved from the post of Principal Private Secretary in National Council for Vocational Education and Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rakesh Kumar, Deputy Director (PSSS) (in situ), has resumed his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 1st September, 2025.

SREEJA V., Director

The 4th September 2025

No. LAFEAS-PS32017/1/2025/109-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant fourth financial upgradation to Shri Om Prakash Maithani, Assistant L/C/P/E Officer, in accordance with the Career Progression Scheme to Level 10 in the pay matrix with effect from 4th September, 2025 and until further orders.

2. The above financial upgradation shall be governed by the provisions of the Career Progression Scheme as per R&CS Order No. 04/2020 dated 14th August, 2020 as amended from time to time.

SREEJA V., Director

The 10th September 2025

No. RS.42/1/2022/110-Perl—Dr. Vandana Kumar, IDAS (1992), who was appointed as Additional Secretary on deputation basis in the Rajya Sabha Secretariat stands relieved of her duties in the Secretariat w.e.f. the afternoon of 10th September, 2025 and her services are placed at the disposal of her parent department i.e., Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence, Government of India.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/111-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant fourth financial upgradation to Shri Rajendra Prasad, Deputy Secretary, in accordance with the Career Progression Scheme to Level 13 in the pay matrix with effect from 7th June, 2025 and until further orders.

2. The above financial upgradation shall be governed by the provisions of the Career Progression Scheme as per R&CS Order No. 04/2020 dated 14th August, 2020 as amended from time to time.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/112-Perl Sec-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajendra Prasad, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director in the Secretariat in Level-13 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/113-Perl Sec-RSS—Shri Deepak Bhorla, who was earlier appointed to the grade of Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate against deputation vacancy with effect from 01.03.2025 vide

Notification No. LAFEAS-PS32015/1/2025/30-Perl Sec-RSS dated 28.05.2025 stands adjusted against regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

2. Further, the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vijay Kumar Rai, Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Secretary in the Secretariat in Level-12 in the pay matrix plus usual allowances as admissible under rules to officiate against deputation vacancy with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS32015/1/2025/114-Perl Sec-RSS—Shri Thangzasiam Paite, who was earlier appointed to the grade of Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate against deputation vacancy with effect from 01.08.2024 vide Notification No. LAFEAS-PS32015/1/2024/56-Perl Sec-RSS dated 29.08.2024 stands adjusted against regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 1st September, 2025 and until further orders.

2. The above adjustment shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court as per directions of the DoPT O.M. dated 12th April, 2022 in this matter and also the final orders of the Hon'ble High Court of Delhi in LPA No. 360/2022.

SREEJA V., Director

No. RS.42/1/2022/115-Perl.—In partial modification of this Secretariat's Notification No. RS.42/1/2022/110-Perl dated 10th September, 2025, Dr. Vandana Kumar, IDAS(1992), has been granted Earned Leave w.e.f. 11th September to 3rd October, 2025.

2. On expiry of the aforesaid period of leave, the services of Dr. Vandana Kumar shall stand placed at the disposal of her parent department i.e., Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence, Government of India.

SREEJA V., Director

The 16th September 2025

No. RS.42/1/2022/116-Perl.—Consequent upon his appointment as Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Sumant Narain, IA&AS (2000), currently on deputation as Joint Secretary & Financial Advisor in Rajya Sabha Secretariat, stands relieved of his duties in the Secretariat w.e.f. the afternoon of 16th September, 2025.

SREEJA V., Director

The 24th September 2025

No. RS.6/1/2022/117-Perl—In partial modification of Notification No. RS.6/1/2022/94-Perl. dated 11th August, 2025, the name of the appointee may be read as "Shri Chirayu Chandrakant Thakkar" instead of "Shri Chirayu Thakkar".

SREEJA V., Director

The 30th September 2025

No. LAFEAS-PS16014/1/2025/118-Perl Sec-RSS:—The services of the following persons, who were appointed as Senior Private Secretaries on co-terminus basis in the personal staff of the respective former Chairpersons of Department-related Parliamentary Standing Committees shown against their names, shall stand terminated w.e.f. the afternoon of 10th October, 2025 after granting them a winding up period of 15 days w.e.f. the forenoon of 26th September, 2025:-

S. No.	Name of the Committee & its Chairperson	Name of the co-terminus appointee
1.	Committee on Commerce (Ms. Dola Sen)	Smt. Farheen Sanam
2.	Committee on Health and Family Welfare (Prof. Ram Gopal Yadav)	Shri Krishan Pal Yadav
3.	Committee on Home Affairs (Dr. Radha Mohan Das Agrawal)	Shri Satya Jeet Pandey
4.	Committee on Education, Women, Children, Youth & Sports (Shri Digvijaya Singh)	Shri Ravichandra Tadigadapa

S. No.	Name of the Committee & its Chairperson	Name of the co-terminus appointee
5.	Committee on Industry (Shri Tiruchi Shiva)	Shri Magesh K.
6.	Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice (Shri Brij Lal)	Shri Arun Kumar Sharma
7.	Committee on Science & Technology, Environment, Forests and Climate Change (Shri Bhubaneswar Kalita)	Shri Vinay Kumar Malik
8.	Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sanjay Kumar Jha)	Shri Gaurav Kumar

SREEJA V., Director

No. LAFEAS-PS/30/2/2025/119-Perl.Sec-RSS—On attaining the age of superannuation, Shri Roshan Lal, Director, retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2025.

SREEJA V., Director

New Delhi-110001, the 1st September 2025

No. LAFEAS-PS25011(11)/1/2024/107-Perl Sec-RSS—In terms of Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, the Competent Authority has appointed Shri Ajaya Kumar Mallick, Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Appellate Authority in that Secretariat w.e.f. 1st September, 2025 and until further orders.

2. Appointment of Shri Sanjay Kumar Khursija, Joint Secretary (retired) as Appellate Authority vide Notification No. RS/15/1/1/2024/4-PERL dated 10th January, 2023 stands terminated with immediate effect.

ARUN BAKSHI, Dy. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd October 2025

No. A-43014/02/2022-Ad-I—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Select List (SSGSL) of Central Secretariat Services for the year 2025 vide DoPT's Order No. 3/2/2025-CS.I(D) dated 17.10.2025, Shri Ashish Malhotra (CSL No. 6854) in this Secretariat is appointed to the grade of Director on regular basis with effect from 17.10.2025 (F/N).

2. The inclusion of officer in SSGSL 2025 will remain subject to further orders of the Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/ 2011 titled Shri Jarnail Singh & Ors. V. Lachhmi Narain Gupta & Ors. and other connected matters.

SAUMITRA SAHAR, Under Secy.

The 31st October 2025

No. A-43014/02/2022-Ad-I—Consequent upon inclusion in the Select List of Grade-I of Central Secretariat Service i.e. Under Secretary for the year 2025 vide DOPT's O.M. No. cs-5/1/2025-CS-I U dated 30.06.2025 and in accordance with DOP&T's OM No.5/15/2023-CS.I(U) dated 13.08.2025, the following officer of this Secretariat presently on deputation to the office/department mentioned against his name is granted proforma promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service with effect from the date of promotion of his immediate junior:

Sl No.	Name (Shri)	Date of Birth	On Deputation to	Immediate junior and his/ her date of joining promotion as confirmed by the Cadre units	Date of Proforma Promotion
1.	Madhuresh Kumar Singh (Sl No. 148 of DoP&T's OM No. cs-5/1/2025-CS-I U dated 30.06.2025)	05.01.1980	Coal Mines Provident Fund Organisation since 02.04.2024	Sh. Kundan Kumar at S. No. 149 (01.07.2025)	01.07.2025

2. The inclusion of officer is subject to final outcome of the Jarnail Singh batch of cases pending before Hon'ble Supreme Court and Writ Petitions No. 6597/ 2012 and 3003/2013 before the Hon'ble High Court of Delhi and also subject to order of any other competent court in any connected matter.

SAUMITRA SAHAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bengaluru-560 094, the 31st October 2025

No. A.26012/1/2019-I:—Consequent on completion of her deputation tenure as Additional Secretary, Department of Space and on expiry of leave from 06.10.2025 to 31.10.2025, Smt. Sandhya Venugopal Sharma, IAS (TN:95) is relieved from Department of Space with effect from the afternoon of 31.10.2025.

RAJI R, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 28th October 2025

No. A-12026/3/2024-Admn.I(LD):—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2025-CS.I(U) dated 17.10.2025, regarding the review of the Select Lists for the years 2020 and 2021 of Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service, it is hereby notified that the name of Shri Bhoopendra Singh Bisht, Under Secretary, Legislative Department (CSL No. 11636), has been included in the Select List for the year 2020 of Grade-I (Under Secretary) of CSS, based on the recommendations of the Review DPC conducted by the Union Public Service Commission.

2. The inclusion of the above officer in the Select List is subject to the conditions specified in the DoP&T's O.M. No. 5/11/2022-CS.I(U) dated 30.06.2022 and is further subject to the outcome of the Jarnail Singh batch of cases pending before the Hon'ble Supreme Court and other related court cases.

Dr. K.V. KUMAR, Addl. Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th October 2025

No. 110/2025 (F.No.A-38012/07/2025-Ad.IA):—On attaining the age of superannuation, Shri Inderjeet Arora, an officer of the Central Secretariat Stenographers Service, posted as Principal Staff Officer (PSO) in the Department of Revenue shall stand retired from Government Service with effect from 31st October, 2025 (A.N.) under F.R.56 (a).

ASHISH KUMAR SHUKLA, Under Secy.

The 29th October 2025

No. 09/2025 [F.No.A. A-32022/1/2025-Ad.1A].—Consequent upon his promotion vide DOP&T's O.M. 3/8/2025-CS.II(A)(i) dated 27.09.2025 and Cadre Administrative Section (CAS), Department of Expenditure's OM No. A.32014/04/2023-CAS dated 27.10.2025, the President of India is pleased to appoint the following Private Secretary (PS) of Department of Revenue in the grade of Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on regular basis for the Select List Year-2025(Part) in the Pay Level 11 (₹67,700 to ₹2,08,700) with effect from the date of assumption of charge mentioned against his name below:

S. No.	Name	Date of Birth	Date of assumption of charge as PPS
1.	Shri Akash Singh	04-07-1974	01-10-2025(FN)

2. The above appointment is subject to the outcome of the following court cases:

- Civil Appeal No.629 of 2022 (arising out of SLP(C) no. 30621 of 2011) in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters (Jarnail Singh batch of cases)
- Any other court cases in a connected matter.

ASHISH KUMAR SHUKLA, Under Secy

CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU

New Delhi, the 7th November 2025

No. A-19012/7/2020-CEIB—On attaining the age of superannuation, Smt. Jaya Sadanandan, an official of Central Secretariat Stenographers Service, posted as Principal Staff Officer (PSO) in Central Economic Intelligence Bureau, Department of Revenue has retired from Government Service with effect from 30th June 2025 (A/N) under F.R. 56(a).

MANJEET, Under secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 6th November 2025

No. A-46011/3/2017-Estt.—The President is pleased to appoint the following officers on the following post with effect from charge assumption date mentioned against their names on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier:-

S. No.	Name of the Officers	Post	Charge Assumption date
1.	Shri Sourabh Kulkarni	Joint Textile Commissioner(Cotton)	22.09.2025(FN)
2.	Shri Sarveshwar Narendra Bhure , IAS(CG:2011)	Joint Textile Commissioner	13.10.2025 (AN)

ANURAG DIXIT, Under secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, 30th September 2025

No. A-38011/02/2025-Estt.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Bharat Bhushan, Sr. Economic Advisor, stands retired from Government service with effect from 30.09.2025 (A/N).

SURENDRA THAKUR, Dy Secy.

New Delhi, the 17th October 2025

No. A-19011/15/2025-Estt.—In pursuance of DoP&T's Order No. 33/09/2025- EO(SM-I) dated 13.09.2025 and consequent upon relieving from Department of Personnel, Jaipur, Government of Rajasthan vide Order No. F.1(1) Pers/A-I/2002 dated 15.10.2025, Dr. Krishna Kant Pathak, IAS (RJ:2001) has assumed the charge of Joint Secretary in the Department of Fertilizers w.e.f. 16.10.2025 (FN), for a tenure of five years, or until further orders, whichever is earlier.

MANISH KUMAR CHOURASIYA, Under Secretary

The 23rd October 2025

No. A-32011/03/2025-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 6/4/2025-CS-I(S) dated 10.10.2025, the competent authority is pleased to appoint Sh. Pankaj Dutt Sharma as Section Officer on regular basis in the Select List for the Year 2025 against Seniority Quota, in the combined cadre of Ministry of Chemicals and Fertilizers w.e.f. 10.10.2025 (AN) in the pay level- 8 (Rs. 47,600 to Rs. 1,51,100) of the pay matrix subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters: -

- Civil Appeal No.629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters (Jarnail Singh batch of cases);
- Matters relating to seniority, promotion etc. in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

MANISH KUMAR CHOURASIYA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 11th November 2025

No. Q-15014/03/2020-CPA—The President, in terms of the order dated 13/10/2025 of Department of Personnel and training, is pleased to appoint Shri Tarun Kumar Pithode, IAS (MP:2009) as Member Secretary in Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) w.e.f. the date of assumption of charge i.e. 23.10.2025 (F/N) to 08.09.2029, or until further orders, whichever is earlier.

PRASOON TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 3rd November 2025

No. A.12025/166/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Priyadarshini Bargunam to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay matrix (Rs. 56,100/- to Rs. 1,77,500/-) and Non –Practicing Allowances (NPA) as admissible, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29th March, 2022 until further orders. Dr. Priyadarshini Bargunam is posted as Medical Officer under Safdarjung Hospital, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/16/2024-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ginish Mawani to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay matrix (Rs. 56,100/- to Rs. 1,77,500/-) and Non –Practicing Allowances (NPA) as admissible, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 04th March, 2024 until further orders. Dr. Ginish Mawani is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500016, the 10th November 2025

No. AMD-25/8/2025-Rectt/3725—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, by promotion to the grades indicated against their name in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each until further orders:

Sl. No.	Name Dr./Shri/Smt/Kum.	Present Grade & Pay Level	Promotion to Grade & Pay Level	Date of Promotion
1.	CHRISTOPHER ARULMANI P	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
2.	ALOK PANDEY	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
3.	GIRIDHAR G V	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
4.	NAVEEN RAJ ROSHAN ECKA	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
5.	SUDHAKAR CHANDRA GUPTA	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
6.	PAVAN KUMAR M	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025
7.	PAWAN MISRA	Scientific Officer – F Level – 13	Scientific Officer – G Level – 13A	01/07/2025

BANDI RAMESH, Technical Officer/E

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
[DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)]

New Delhi-110003, the 27th October 2025

No. 3-7/2004-DD-IV-A (Sch.)—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Divyangjan Finance and Development Corporation, the President is pleased to appoint the following officer as ex-officio Director on the Board of Directors of the National Divyangjan Finance and Development Corporation with effect from 22.10.2025 for a period of 03 years or until further orders whichever is earlier:-

Sl. No.	Name	Designation	Organization
1.	Sh. Prabhat Tyagi	Chairman-cum-Managing Director	National Scheduled Castes Finance and Development Corporation

JASBIR SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st October 2025

No. E(O)III-2025/RN/19—Consequent upon his immediate absorption in Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), Shri Rajeev Kumar Mishra, an Officer of the Indian Railway Service of Engineers (DOB: 28.08.1968, DITS: 21.02.1994, Lien: Eastern Railway) has resigned from Railway Service with effect from 01.10.2025.

ARUNA NAYAR, Secy.